

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 24.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-55 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के अभियान में 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जयिशा पत्नी स्व0 संचित नि0 चमारन पुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-79/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रीता पत्नी राजू नि0 पिपरा तिराहा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 08 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-30/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेन्द्र सोनकर पुत्र अगनू सोनकर नि0 करिगहना थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-66/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लालचन्द पुत्र राम नारायन नि0 मजरहिया थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-140/21, 02. चैतू पुत्र दशरथ नि0 गंगोपुर डिहवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-143/21, 03. लालमन पुत्र चैतू नि0 गंगोपुर डिहवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-143/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। बुधवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के आरोपी अभियुक्त दिवाकर पुत्र ज्ञानदेव शरण श्रीवास्तव नि० चारु थाना छपिया जनपद गोण्डा को थाना छपिया में पंजीकृत मु०अ०सं०-47/21, धारा 363.366 भादवि व व 3(2)(5) एस०सी०एस०टी० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसमें सम्बन्ध में लड़की की माता द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें छपिया पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मसकनवाँ चौराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. हरिशचन्द्र पुत्र निबरे नि० ग्राम बलदुपुरवा बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-40/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 23.02.2021 को थाना धानेपुर के उ०नि० दिलीप कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० दिलीप कुमार सिंह।
02. उ०नि० दधिबल यादव।
03. हे०का० रामकृपाल यादव।
04. हे०का० दयानंद सिंह।

थाना को0नगर ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया

गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. खालिक पुत्र बरसाती नि0 मोहल्ला इमामबाड़ा थाना को0नगर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 145 / 21, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 24.02.2021 को थाना को0नगर के उ0नि0 गोपाल सिंह मय पुलिस टीम के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को मोहल्ला इमामबाड़ा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0नगर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 गोपाल सिंह ।
02. का0 मनोज यादव ।
03. का0 इमरान अंसारी ।
04. का0 रोहित कुमार ।